

07/10/24

पत्रावली पेश हुई। बाकी खर्च अनुपस्थित।
 काम वादी भी अनुपस्थित। तीन बार
 कक कक कर आवाज ही गई
 लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
 अतः वादी भी लापरवाही के कारण
 प्रकरण असम होजारी, असम पैरवी के
 under order of Rule 8 epc खारिज
 किया जाता है। पत्रावली, मुद्दावगुण
 पर लिखी जाये बिना, पैलमशुमार
 होकर नम्बर से काम होकर वादी
 तारीख नकली होखल दफ्तर ही।



[Handwritten Signature]

07/10/24
 उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

